# प्रसवपूर्व निदान तकनीक ( विनियमन और दुरुपयोग निवारण ) ( सलाहकार समिति ) नियम, 1996

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( परिवार कल्याण विभाग ) अधिसूचना क्र. सा. का. नि. 540 ( अ ) दिनांक 26 नवम्बर, 1996*.—केन्द्रीय सरकार, प्रसवपूर्व निदान तकनीक ( विनियमन और दुरुपयोग निवारण ) अधिनियम, 1994 ( 1994 का 57 )[1] की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसवपूर्व निदान तकनीक ( विनियमन और दुरुपयोग निवारण ) ( सलाहकार समिति ) नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) अभिप्रेत है;

(ख) "सलाहकार समिति" से ऐसी सलाहकार समिति अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन गठित की गई है;

(ग) "अध्यक्ष" से धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन नियुक्त सलाहकार समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत हैं;

(घ) "मूल नियम" से प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) नियम, 1996 अभिप्रेत है;

(ङ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(च) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में या मूल नियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम या मूल नियम में हैं।

**3. किसी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति के निबंधन और शर्तें.**—(1) कोई व्यक्ति किसी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह :

(क) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, जिसमें, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या

---

* भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 3(i) दिनांक 26-11-96 पृष्ठ 1-3 पर प्रकाशित।

1. अब देखिए गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994.

(ग) विकृतचित्त है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

(घ) सरकार की या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम की सेवा से हटाया या पदच्युत किया गया है; या

(ङ) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की राय में, ऐसे वित्तीय या अन्य हित रखता है जिससे सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में उसके कृत्यों के निर्वहन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है; या

(च) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की राय में लिंग निर्धारण के लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीक के प्रयोग या प्रोन्नति से सम्बद्ध रहा है।

(2) सलाहकार समिति का प्रत्येक सदस्य उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निवासी होगा जिसके लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया है और जिसमें उसे एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

(3) सलाहकार समिति का सदस्य, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(4) उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसा प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा;

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पहले सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में पद धारण कर रहा है तो वह अपनी नियुक्ति की तारीख से केवल तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसा पद धारण करेगा।

(5) सेवा निवृत्त होने वाला कोई सदस्य या कोई ऐसा सदस्य जिसकी पदावधि समय व्यतीत हो जाने के कारण समाप्त हो गई है, पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(6) यदि किसी सलाहकार समिति में कोई आकस्मिक रिक्ति किसी सदस्य के पदत्याग, मृत्यु स्थानान्तरण या उसे सेवा से हटाये जाने के कारण या अन्यथा होती है तो ऐसी रिक्ति नए सिरे से नियुक्ति करके भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उस सदस्य की जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है, पदावधि से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(7) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार सलाहकार समिति के किसी सदस्य को, उसका सेवाकाल समाप्त होने से पहले, हटा सकेगी।

(8) सलाहकार समिति का प्रत्येक सदस्य, सलाहकार समिति की बैठकों में जिनके अन्तर्गत गणपूर्ति के अभाव में स्थगित कोई बैठक भी है उपस्थित होने या अधिनियम के अधीन या मूल नियमों के अधीन या इन नियमों के अधीन विहित किन्हीं अन्य कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा की गई यात्राओं के लिए, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय मापमान के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

**4. सलाहकार समिति की बैठकें.**—सलाहकार समितियों की किन्हीं दो बैठकों के बीच अन्तर्वर्ती अवधि साठ दिन से अधिक नहीं होगी।

**5. बैठक की सूचना.**—(1) प्रत्येक सदस्य को सलाहकार समिति की सभी बैठकों की सूचना कम से कम सात पूर्ण दिनों के पहले दी जाएगी। किन्तु अत्यन्त आवश्यक बैठक अध्यक्ष द्वारा तीन पूर्ण दिनों की सूचना पर बुलाई जा सकेगी :

परन्तु यदि अध्यक्ष उपलब्ध नहीं है और नियम 4 में विहित समय सीमा के भीतर बैठक बुलाया जाना अपेक्षित है तो समुचित प्राधिकारी सलाहकार समिति के कम से कम चार सदस्यों से परामर्श करने के पश्चात् सात पूर्ण दिनों की सूचना पर बैठक बुला सकेगा।

(2) सूचना में बैठक में किए जाने वाले कार्य का उल्लेख और अध्यक्ष की सम्पत्ति या उसके प्रस्ताव के सिवाय, उल्लिखित कार्य से भिन्न कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

**6. साधारणतया बैठकों में किए जाने वाले कार्य.**—सलाहकार समिति का कार्य साधारणतया इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से बुलाई गई बैठक में किया जाएगा :

परन्तु अध्यक्ष, यदि वह उचित समझता है, किसी अत्यावश्यक विषय को सलाहकार समिति के सदस्यों को उनकी राय के लिए परिचालित कर सकेगा।

**7. गणपूर्ति.**—सलाहकार समिति की प्रत्येक बैठक के चार सदस्यों के होने पर गणपूर्ति होगी।

**8. बैठक का अध्यक्ष.**—सलाहकार समिति की बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी या उसकी अनुपस्थिति में या अध्यक्ष की नियुक्ति न होने की दशा में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित सदस्य द्वारा की जाएगी।

**9. सलाहकार समिति को समुचित प्राधिकारी द्वारा दी जाने वाली सहायता.**—(1) सलाहकार समिति की प्रत्येक बैठक में सम्बद्ध समुचित प्राधिकारी उपस्थित रहेगा।

(2) सलाहकार समिति को अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा सभी सचिवीय और अन्य सहायता प्रदान की जाएगी।

(3) नियम 5, 6, 7 और 12 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष से परामर्श करके समुचित प्राधिकारी बैठक की सूचना, कार्यसूची, कार्यसूची पर टिप्पण और बैठक का कार्यवृत्त जारी रहेगा।

**10. सलाहकार समिति के समक्ष प्रश्नों का विनिश्चय.**—(1) सलाहकार समिति द्वारा दी गई सलाह को अंगीकार किया जाएगा और सदस्यों की राय में किसी मतभेद की दशा में ऐसे विषय पर मतदान कराया जाएगा जो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से विनिश्चित होगा।

(2) समुचित प्राधिकारी को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(3) मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में, अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीयक या निर्णायक मत होगा।

(4) किसी प्रश्न को अंगीकृत करने के बजाय मतदान की प्रक्रिया द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले तथ्य को सलाहकार समिति को उस बैठक के कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाएगा।

**11. रिक्तियों आदि से सलाहकार समितियों की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.**—सलाहकार समिति की कोई बैठक या कार्यवाही मात्र निम्नलिखित कारण से ही अविधिमान्य नहीं होगी—

(क) सलाहकार समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि, या

(ख) सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि ; या

(ग) सलाहकार समिति द्वारा अंगीकृत प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

**12. सलाहकार समितियों की कार्यवाहियों का अभिलेख.**—सलाहकार समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची, कार्यसूची पर टिप्पण, समर्थक दस्तावेज और कार्यवृत्त का एक समुच्चय अध्यक्ष के या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा और समुचित प्राधिकारी द्वारा इसे स्थाई अभिलेख के रूप में रखा जाएगा।

———